भारत सरकार
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या : 3417
उत्तर देने की तारीख : 12.03.2026

तमिलनाडु में पीएमएमवाई

3417. श्री थरानिवेंथन एम.एस. :

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) के अंतर्गत राज्य-वार, विशेषकर तमिलनाडु के लिए कुल कितने ऋण संस्वीकृत और संवितरित किए गए हैं;

(ख) तमिलनाडु में पीएमएमवाई ऋणों से कारीगर इकाइयों, छोटे व्यापारियों और सेवाप्रदाताओं सहित सर्वाधिक लाभान्वित होने वाले क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या महिला उद्यमियों और वंचित वर्गों के लिए ऋण पहुंच बढ़ाने के लिए कोई विशिष्ट कदम उठाए गए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) स्टैंड-अप इंडिया, मुद्रा प्लस योजनाओं और राज्य एमएसएमई सहायता कार्यक्रमों जैसी अन्य योजनाओं के साथ पीएमएमवाई को एकीकृत करने के लिए क्या पहल की गई है; और

(ङ) विशेषकर तमिलनाडु में पात्र लाभार्थियों के लिए कवरेज का विस्तार करने, प्रक्रियाओं को सरल बनाने और ऋण सीमा में वृद्धि करने के लिए सरकार की क्या योजनाएं हैं?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री
(सुश्री शोभा करांदलाजे)

(क) से (ङ) : जैसा कि वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस) द्वारा सूचित किया गया है, प्रधानमंत्री मुद्रा स्कीम (पीएमएमवाई) का शुभारंभ दिनांक 08.04.2015 को सदस्य ऋण संस्थानों (एमएलआई), अर्थात अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी), गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) और सूक्ष्म वित्त संस्थानों (एमएफआई) द्वारा 20 लाख रुपए तक के संपार्श्विक मुक्त ऋण प्रदान करने के लिए किया गया था। कोई भी व्यक्ति, जो अन्यथा ऋण लेने के योग्य है और उसके पास छोटे व्यवसाय उद्यम के लिए एक व्यवसाय योजना है, वह विनिर्माण, व्यापार, सेवा क्षेत्रों में आय सृजन गतिविधियों के लिए स्कीम के तहत चार ऋण श्रेणियों में ऋण प्राप्त कर सकता है, अर्थात शिशु (50,000 रुपए तक ऋण), किशोर (50,000 रुपए से अधिक और 5 लाख रुपए तक के ऋण), तरुण (5 लाख रुपए से अधिक और 10 लाख रुपए तक के ऋण) और तरुण प्लस (10 लाख रुपए से अधिक और 20 लाख रुपए तक के ऋण उन उद्यमियों के लिए जिन्होंने दिनांक 24.10.2024 के प्रभाव से 'तरुण' श्रेणी के तहत पिछले ऋणों का लाभ उठाया है और उन्हें सफलतापूर्वक चुकाया है)।

यह स्कीम छोटे व्यवसायों, हस्तशिल्प, कृषि-संबद्ध गतिविधियों और पारंपरिक उद्यमों को धन प्रदान करती है जिन पर कई महिलाएं आय के लिए निर्भर हैं। इसके अलावा, उन महिलाओं को, जिनके पास अक्सर संपार्श्विक या क्रेडिट इतिहास की कमी होती है, पीएमएमवाई के तहत प्रदान किए गए संपार्श्विक-मुक्त ऋण से उन्हें लाभ हुआ है।

प्रधानमंत्री मुद्रा स्कीम (पीएमएमवाई) के तहत सफल उधारकर्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए, तरुण श्रेणी के तहत अपने मुद्रा ऋण का सफलतापूर्वक पुनर्भुगतान करने वाले उधारकर्ताओं के लिए 2024-25 में 'तरुण प्लस' नामक मुद्रा ऋण की एक नई श्रेणी शुरू की गई थी। 'तरुण प्लस' के तहत, ऐसे उधारकर्ताओं को 20 लाख रुपये तक के संपार्श्विक मुक्त ऋण प्रदान किए जाते हैं।

ऋण आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाने और ऋणों के समय पर वितरण को सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने कई उपाय किए हैं। 15 क्रेडिट लिंक्ड स्कीमों के साथ जन समर्थ जैसे पोर्टल बनाए गए हैं, जहां आवेदक निर्दिष्ट ऋणों के लिए स्वयं या किसी की सहायता से आवेदन कर सकते हैं।

तमिलनाडु सहित राज्यवार, पिछले तीन वर्षों के दौरान पीएमएमवाई के तहत स्वीकृत और वितरित ऋण खातों की संख्या **अनुबंध I** में संलग्न है।

*****

अनुबंध I

"तमिलनाडु में पीएमएमवाय" पर लोकसभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 3417 के उत्तर के भाग (क) में संदर्भित अनुबंध जिसका उत्तर 12.03.2026 को दिया जाना है

पिछले तीन वर्षों के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) ऋण का विवरण										
[करोड़ रुपए में राशि]										
क्र.सं.	राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों के नाम	2025-26			2024-25			2023-24		
		खातों की संख्या	स्वीकृत राशि	संवितरित राशि	खातों की संख्या	संवितरित राशि	संवितरित राशि	खातों की संख्या	संवितरित राशि	संवितरित राशि
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	2,774	137.44	136.94	3,027	143.44	143.08	3,131	126.49	126.13
2	आंध्र प्रदेश	11,20,810	21,840.48	20,442.59	14,64,680	20,810.41	20,517.18	15,88,682	19,835.91	19,573.04
3	अरुणाचल प्रदेश	37,670	587.49	581.55	36,567	504.13	495.72	26,431	352.18	346.63
4	असम	9,20,448	10,861.20	10,770.72	12,16,262	11,265.21	11,191.94	7,22,225	6,942.56	6,847.44
5	बिहार	48,96,486	45,132.45	43,766.61	77,71,213	58,138.29	54,064.10	96,31,277	58,722.25	56,841.09
6	चंडीगढ़	10,898	318.74	313.75	15,724	317.41	313.60	15,585	301.28	294.80
7	छत्तीसगढ़	7,65,227	9,422.14	9,001.00	10,16,177	9,872.37	9,221.98	10,35,574	8,983.57	8,436.37
8	दादरा और नगर हवेली	3,130	98.28	97.32	3,936	93.24	92.80	3,792	67.53	67.18
9	दमन और दीव	1,419	50.78	50.35	2,292	98.09	93.12	1,194	37.22	36.62
10	दिल्ली	1,96,157	6,228.22	6,062.34	1,99,513	4,745.53	4,695.01	3,15,625	4,341.76	4,265.87
11	गोवा	25,079	671.12	661.19	27,585	658.27	648.22	42,505	770.27	756.46
12	गुजरात	13,52,032	20,313.87	20,098.01	15,70,182	20,069.70	19,919.03	19,60,464	19,870.65	19,640.31
13	हरियाणा	7,35,887	10,439.51	10,264.13	8,00,080	10,079.56	9,974.77	10,95,972	11,047.06	10,719.55
14	हिमाचल प्रदेश	1,26,166	3,226.91	3,164.67	1,10,348	3,099.89	3,076.75	1,46,471	3,354.69	3,241.99
15	झारखंड	12,22,632	12,192.55	11,824.36	16,68,829	12,966.56	12,551.98	21,29,193	13,050.05	12,887.57
16	कर्नाटक	27,39,271	35,259.66	35,093.18	49,43,477	49,470.21	49,319.57	64,58,940	49,684.30	49,510.51
17	केरल	13,81,936	17,297.29	17,180.04	19,44,890	19,810.73	19,661.76	19,73,469	18,152.16	18,015.08
18	लक्षद्वीप	1,903	42.10	42.00	2,258	43.91	43.87	2,309	39.97	39.91
19	मध्य प्रदेश	25,51,496	27,960.16	26,191.16	33,02,774	30,442.10	28,899.69	34,45,475	26,146.21	25,272.18
20	महाराष्ट्र	30,68,225	45,694.88	44,969.65	44,62,791	51,311.90	50,762.02	52,79,979	43,075.16	42,773.74
21	मणिपुर	29,654	632.65	624.94	11,452	320.31	311.29	10,666	225.04	213.62

22	मेघालय	29,479	474.71	470.15	35,308	507.04	502.49	31,633	424.99	420.03
23	मिज़ोरम	23,274	547.05	544.44	26,463	604.57	600.41	28,729	580.54	576.65
24	नागालैंड	28,765	556.75	551.30	32,002	525.12	519.36	21,014	400.84	394.69
25	ओडिशा	18,96,415	22,025.77	21,816.92	27,93,890	22,677.77	22,532.57	37,61,546	23,539.15	23,355.99
26	पांडिचेरी	68,758	938.51	934.62	85,730	898.07	890.60	1,33,357	1,063.54	1,059.69
27	पंजाब	7,17,442	11,401.10	10,900.21	7,07,516	10,278.37	9,856.31	10,39,309	11,331.72	10,668.37
28	राजस्थान	18,83,309	25,442.42	25,219.53	21,63,626	25,994.30	25,794.48	26,93,556	26,955.25	26,755.28
29	सिक्किम	15,492	274.11	269.52	19,185	294.16	290.24	19,290	266.38	260.61
30	तमिलनाडु	**31,37,622**	**42,148.77**	**41,959.19**	**45,36,967**	**46,869.01**	**46,666.26**	**72,04,001**	**57,616.60**	**57,370.41**
31	तेलंगाना	8,47,873	14,642.16	14,544.13	11,37,388	13,981.58	13,907.44	9,47,059	10,929.91	10,722.07
32	Tripura	2,42,792	2,571.79	2,551.06	3,48,747	2,885.56	2,864.61	3,24,797	2,505.42	2,465.59
33	जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र	3,26,009	7,792.91	7,268.68	3,99,396	9,241.44	8,808.02	3,66,142	8,530.51	8,119.92
34	लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र	8,245	240.53	234.86	12,197	356.50	350.62	11,013	311.64	306.97
35	उत्तर प्रदेश	47,37,733	58,866.70	58,104.42	59,24,230	58,837.78	58,111.79	76,79,518	59,506.73	58,535.05
36	उत्तराखंड	2,63,887	4,443.87	4,396.97	3,38,119	4,583.09	4,534.21	4,45,218	4,798.74	4,728.64
37	पश्चिम बंगाल	41,67,212	45,581.20	44,451.52	55,26,827	50,006.14	49,575.68	61,81,872	47,124.58	46,712.27
	Total	**3,95,83,607**	**5,06,356.27**	**4,95,554.03**	**5,46,61,648**	**5,52,801.78**	**5,41,802.58**	**6,67,77,013**	**5,41,012.86**	**5,32,358.35**

Source: DFS